# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 24 / 2020 (2020 / 00090)

1. हनुमान पुत्र श्री सूरजमल जाति दरोगा(रावणा राजपूत) निवासी बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. जयराम पुत्र रामकिशन
2. धर्मराज पुत्र रामकिशन
3. गोपाल पुत्र नानाराम
4. कालू पुत्र श्री काना
5. लद्दू पुत्र श्री रामप्रताप?
[illegible]धू पुत्र रामप्रताप
7. रामेश्वर पुत्र रामप्रताप
8. कालू पुत्र रामप्रताप

समस्त जाति कहार निवासीगण बिसून्दनी तह. सावर जिला अजमेर

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर
2. काली पुत्री श्री रामनारायण
3. गंगा पुत्री रामप्रताप
4. गोपाल पुत्र नानाराम
5. जड़ाव पत्नी रामनारायण
6. जमना पुत्री रामप्रताप
7. दिलखुश पुत्र श्योजीराम
8. नारायणी पत्नी श्योजीराम
9. बाली पुत्री जमना
10. रूखमा पुत्री शिवराम
11. रामकन्या पुत्री जमना
12. रामप्यारी पत्नि जमना
13. रामप्रसाद पुत्र जमना
14. रामसुख पुत्र रामदेव
15. रामस्वरूप पुत्र जमना
16. लाडा पत्नि रामचन्द्र
17. लादी पत्नि शिवराम
18. श्रीराम पुत्र श्योजीराम
19. सूरमा पुत्री श्योंजीराम
20. सीता पुत्री शिवराम
21. सीताराम पुत्र शिवराज

समस्त जाति कहार निवासीगण बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर

—— अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

केकड़ी जिला अजमेर

Scanned with CamScanner

[redacted]

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम

-: आदेश :-

दिनांक 13.12.2021

प्रशासन गांवों के संग 2021 कैम्प कृषागता के दौरान प्रस्तुत की गई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिरुन्दनी की जमाबन्दी संवत 2073-76 के खाता स. नया पुराना 345-324 के खसरा नम्बर 2466 रकबा 1.97 है किस्म बारानी 1 तथा खसरा न. 2468 रकबा 0.25 है किस्म बारानी 1 का खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी की पूर्व दिशा की ओर अप्रार्थीगण की आराजी के पश्चात सरकारी रास्ता खसरा न. 2474 रकबा 0.03 है गै.मु. रास्ता स्थित है जिसे होकर अप्रार्थीगण की आराजीयात के उत्तर दिशा की ओर से स्थित मेड के सहारे प्रार्थी अपनी वाद वर्णित आराजीयात मे आकर काश्त करता था। विगत 3 माह पूर्व दिनां 15.03.2020 को अप्रार्थीगण ने अपनी आराजी के उत्तरी मेड पर तारबन्दी कर देने से प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि पर आवागमन करने का कोई रास्ता नही है। तथा प्रार्थी के पास किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अनुसार अप्रार्थीगण की आराजीयात खसरा न. 2473, 2772, 2471, 2468/2982 के उत्तरी दिशा में मेड के सहारे लाल स्याही से दर्शित मार्क ए से बी करीब 10 फीट चौडाई का रास्ता की प्रार्थी को सद्भाविक रूप से युक्तियुक्त आवश्यकता है जिसके लिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को रास्ते में आने वाली भूमि का मूल्य डी.एल.सी. रेट से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित की जाने वाली राशि का प्रार्थी अप्रार्थीगण को भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर है। जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी की वाद वर्णित आराजीयात मे आवागमन के लिए प्रस्तावित सलंग्न नक्शानुसार अप्रार्थीगण की भूमि में से प्रार्थी को रास्ता दिलाया जाना न्यायौचित् एवं न्याय तथा विधि सम्मत है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा न. 2466 रकबा 1.97 है. खसरा न. 2468 रकबा 0.25 है. बारानी प्रथम में आवागमन, कृषि कार्य करने, खेती के विकास, फसल काश्त कर काटकर लाने ले जाने ट्रेक्टर से आवागमन करने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी खसरा न. 2473, 2472, 2471, 2468/2982 के उत्तरी दिशा की ओर मेड के सहारे सहारे सलंग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ता मार्क ए. से बी. करीब 10 फीट चौडाई का रास्ता(मार्ग) अप्रार्थीगण की भूमि में से प्रार्थी को दिलाया जाकर रास्ते की भूमि का क्षैत्रफल का डी.एल.सी. रेट से भुगतान जमा कराने का आदेश प्रदान करावें। एवं उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम कर रास्ते के खसरा न. अंकित करने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 9 तहसीलदार सावर को उचित आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 ने अभिभाषक श्री निर्मल चौधरी के जरिये वकालत नामा व जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में बताया कि वर्णित खसरा न. 2468 रकबा 1.97 है. व ख. न. 2466 रकबा 0.25 है. पर काश्त करते आ रहें है। तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच किसी प्रकार का झगड़ा फसाद कभी भी नहीं हुआ है। प्रार्थी अपनी आराजीयात परम्परागत रास्तें से ही काश्त करते चले आ रहें है। इसलिए खसरा स. 2473, 2472, 2471, 24687/2982 के उत्तरी दिशा में मेड़ के सहारे लाल स्याही से दर्शित मार्क ए से बी तक 10 फीट चौड़ाई का रास्ते को प्रार्थी को सद्भाविक रूप से युक्तियुक्त आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी को वर्णित आराजी में काश्त करने के लिए परम्परागत रास्ता खसरा न. 963 से खसरा स. 2455, 2457, 2457/3018, 2457/2981 के मेर पर होते हुए अपनी आराजीयात खसरा न. 2466 व 2468, 2468/2984 में वर्षो से काश्त करते आ रहें हैं। जो उक्त रास्ता प्रार्थी की अपने खेतो का नजदीक का रास्ता है। प्रार्थी [illegible] 2472, 2471, 2468/2982 में से होकर कभी भी वाद वर्णित आराजीयात को काश्त नहीं करी [illegible] खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

तहसीलदार सावर से मौका रिपोर्ट मंगवाई जावें। तहसीलदार सावर के पत्र क्रमांक शीडर/2020/840 दिनांक 13.08.2020 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कि है जिसके अनुसार वाद वर्णित आराजीयात वादी के संयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रार्थी वर्तमान में प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा न. 2473, 2472, 2470 खातेदारी ख. न. 2489/2983, 2489 में से होकर अपने खेत में आवागमन कर रहा है। प्रार्थी के खेत के निकट आराजी ख. न. 2474, 2484 बिसुन्दनी भीमपुरा का रास्ता गुजर रहा है। प्रार्थी की खेत के निकट बिसुन्दनी भीमपुरा का रास्ता है जो कि स्वीकृत शुदा में से रास्ता दिया जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत पर जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए स्वीकृतशुदा रास्ते से 212 मीटर लम्बाई तथा 1900 वर्गमीटर भूमि की रास्ते को आवश्यकता है। पक्षकारान् प्रतिकर की रकम पर आपस में सहमत है। कुल प्रतिकर राशि रकम 77102/– रू. बनती है। उक्त प्रतिकर की राशि जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की गई राशि से दोगुना है। तथा रास्ते में कोई पेड़ नहीं है।प्रशासन गांवो के संग शिविर 2021 में पक्षकारान उपस्थित हुये । उन्हे सुना गया ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पक्षकारान की बहस सुनी गयी तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बिसुन्दनी के खसरा नम्बर 2473 , 2472 , 2489,2489/2983 में से गै.मु. रास्ता स्वीकार किया जाता है। तहसीलदारसावर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। तथा निर्धारित राशि 77102/–रूपये प्रार्थीगण से वसूल कर प्रमावित खातेदार को भुगतान करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश मजमें आम प्रशासन गावो के संग अभियान शिविर स्थल कुम्भायता में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
एवं शिविर प्रभारी ककड़ी,

उपखण्ड अधिकारी
ककड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner